असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन एक अध्ययन

राजे उषा एवं गुप्ता महेश
वाणिज्य विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर, भारत

प्रस्तावना

असंगठित क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले, कृषि, ठेले पर व्यवसाय करने वाले, खदानों आदि में कार्य करने वाले श्रमिक आते हैं। अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के कारण हमेशा यह श्रमिक अपने भविष्य लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इनका कार्य स्थायी प्रकृति नहीं होता है। निश्चित आय के साधन नहीं होते हैं। शासन–प्रशासन द्वारा इनकी इस स्थिति को सुधारने हेतु कई सामाजिक सुरक्षा योजनाआएँ प्रारंभ की गई हैं, बहुत से विधान जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, वन तथा अन्य निर्माण श्रमिक (आर.ई.सी.एस.) अधिनियम, 1996; वन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1996 इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी लागू किये गये हैं।

सरकार द्वारा सामूहिक बीमा योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा ऊपर के लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना, जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को भी शामिल किया जाता हैं। कुछ रोजगारपरक योजनाएं हैं, जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इत्यादि। असंगठित निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिये वर्ष 1996 में दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं ''भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996'' तथा ''भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996।'' इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रावधान किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा असंगठित निर्माण श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश की जा रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इन योजनाओं के प्रति कितने जागरूक हैं एवं उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किस प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं यह जानने हेतु उपरोक्त अध्ययन किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

"Organizing the Unorganized: Case study of 'Nirman Mazdoor Sanghatana (NMS)" – a construction workers union in Maharashtra, India. web pdf edition (978-92-2-122785-4) विषय पर बिन्दू बड़ीगनांवर, स्कूल ऑफ मेनेजमेंट, रॉलय होलोवे, यूनिवर्सटी ऑफ लंदन एवं जॉन केली, डिर्पाटमेंट ऑफ मेनेजमेंट, ब्रिकबेक, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन द्वारा अध्ययन किया गया है।

"Current State and Evolution of Industrial Relations in Maharashtra, International Labour Organization Office for South Asia, New Delhi" विषय पर श्याम सुन्दर, के.आर. (2009) में अध्ययन कर बताया की संगठित क्षेत्र के मजदूरों की तुलना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दुर्दशापूर्ण हैं। वर्तमान में शासन के माध्यम से जो मजदूरों के कल्याण के लिये योजनाएँ बनाई गयी हैं वे पर्याप्त नहीं हैं।

नंदिता शाह एण्ड सुजाता घाटोसकर, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स एण्ड ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 30 अप्रेल 1994 में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति के बारे में बताया गया है।

शोध परिकल्पना

परिकल्पना से आशय है पूर्व चिन्तन। यह शोध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषित करने के बाद उसके कारणों के सम्बंध में पूर्व चिन्तन कर लिया जाता है।

शोध परिकल्पना की सहायता से हमें शोध कार्य करने में आसानी होती है। शोध की निम्न परिकल्पनाएँ हैं :

1. निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ प्राप्ति में अशिक्षा बाधक है।
2. निर्माण श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है।

शोध प्रविधि

अध्ययन में तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु देवनिर्देशन पद्धति के माध्यम से 100 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है। असंगठित श्रमिकों के शैक्षणिक एवं जागरूकता के स्तर को तालिकाओं द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया गया है:–

तालिका क्र. 1
सर्वेक्षण के आधार पर असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	38	38%
2.	साक्षर	26	26%
3.	प्राथमिक स्तर	22	22%
4.	माध्यमिक स्तर	18	18%
	योग	**100**	**100%**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित

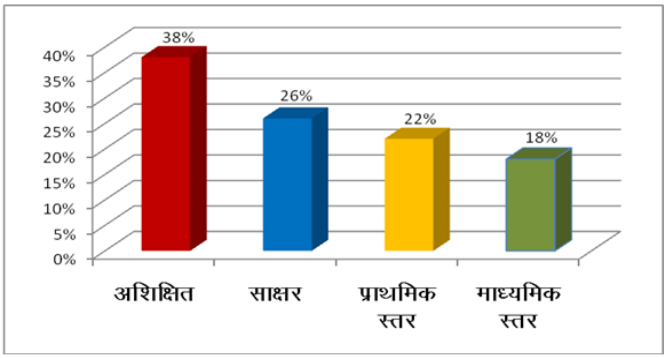

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के 38 प्रतिशत श्रमिक अशिक्षित हैं वहीं जिन्हें मात्र नाम लिखना आता है व थोड़ा–बहुत अक्षर ज्ञान है 26 प्रतिशत हैं। अशिक्षा का यह स्तर बहुत चिंताजनक है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझने व लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है।

श्रमिकों के अशिक्षित होने का मुख्य कारण इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है। इनमें से कई श्रमिक काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। एक स्थान पर लम्बे समय तक निवास नहीं करते हैं इस कारण भी इनके बच्चे लगातार स्कूल में नहीं जा पाते हैं जिससे इनकी शिक्षा अधुरी रह जाती है वहीं कई बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के मूल उद्देश्यों तथा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। इस हेतु इनकी शिक्षा के लिये सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका क्र. 2
असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी का स्तर

क्र.	सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	59	59%
2.	नहीं	41	41%
	योग	**100**	**100%**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित

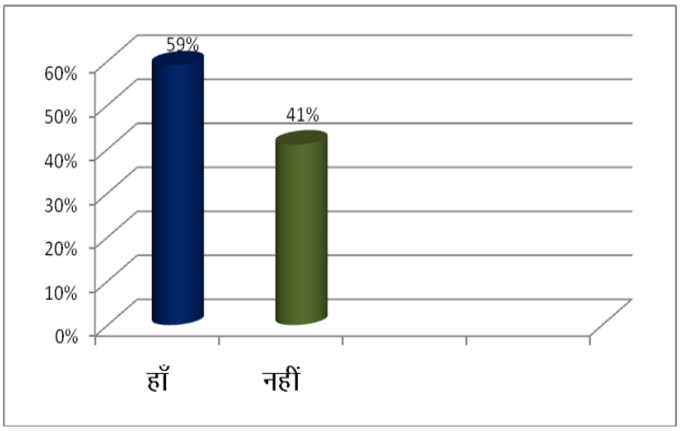

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 59 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी है तथा 41 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी नहीं है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी काफी ज्यादा प्रतिशत ऐसे श्रमिकों का है जिन्हें योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। इस कारण यह श्रमिक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये श्रम विभाग को ज्यादा से ज्यादा निश्चित समय अंतराल पर योजना सम्बंधी जानकारी हेतु शिविर लगाकर प्रचार–प्रसार करने एवं श्रमिकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि वह भी अपने अन्य श्रमिकों को योजना की जानकारी देवें।

तालिका क्र. 3
असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत

क्र.	जानकारी के स्त्रोत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1.	श्रम विभाग द्वारा प्रचार हेतु लगाये गये शिविरों के माध्यम से	19	32.20%
2.	समाचार पत्रों के माध्यम से	15	25.42%
3.	टी.वी/रेडियो के माध्यम से	18	30.51%
4.	अन्य श्रमिकों से	7	11.86%
	योग	**59**	**100%**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित

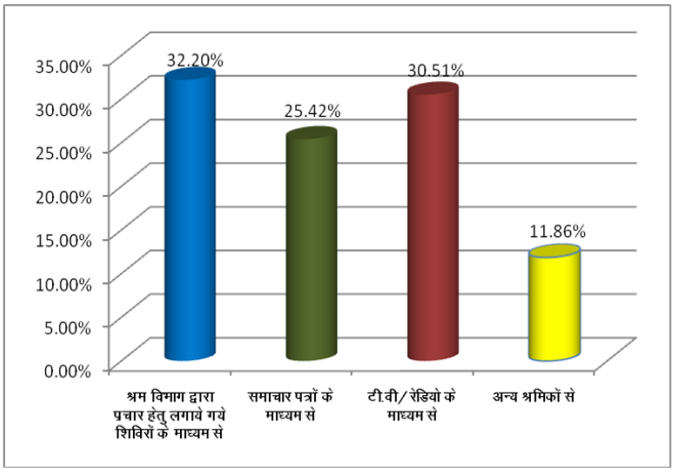

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रम विभाग द्वारा योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु लगाये गये शिविरों के माध्यम से सबसे ज्यादा 32.20 प्रतिशत श्रमिकों को एवं टी.वी./रेडियो के माध्यम से 30.51 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार समाचार पत्र एवं अन्य श्रमिकों के माध्यम से भी क्रमशः 25.42 प्रतिशत व 11.86 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है।

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी का स्तर बढ़ाने हेतु ज्यादा से ज्यादा एक निश्चित समय अंतराल में शिविर लगाये जाने की आवश्यकता है एवं श्रमिकों के कार्यस्थल पर जाकर भी जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है। ठेकेदारों एवं उद्योग मालिकों को श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने एवं योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है, यह समझाने का कार्य निश्चित किया जाना आवश्यक है एवं इस सम्बंध निश्चित नियम बनाने की भी आवश्यकता है जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

तालिका क्र. 4
सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की जानकारी

क्र.	जानकारी के स्त्रोत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1.	प्रसूति सहायता योजना	10	18.52%
2.	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना	19	35.19%
3.	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	9	16.67%
4.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	8	14.81%
5.	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	–	
6.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	2	3.70%
7.	कौशल प्रशिक्षण योजना	–	–
8.	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार योजना	–	–
9.	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	–	–
11.	सुपर 500 (कक्षा 10) योजना	–	–
12.	सुपर 500 (कक्षा 12) योजना	–	–
13.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमो हेतु अध्ययन अनुदान योजना	–	–
14.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (शहरी) योजना	–	–
15.	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	–	–
16.	श्रमिक रैन बसेरा योजना	6	11.11%
17.	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	–	–
18.	व्यावसायिक (यू.जी/पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना	–	–
19.	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014	–	–
20.	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	–	–
21.	सायकल अनुदान योजना	–	–
22.	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना	–	–
	योग	**54**	**100%**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनमें सर्वाधिक दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना का लाभ 35.19 प्रतिशत श्रमिकों ने प्राप्त किया है एवं प्रसूति सहायता योजना का 18.52 प्रतिशत महिला श्रमिकों द्वारा लाभ प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार विवाह सहायता योजना का 16.67 प्रतिशत, शिक्षा प्रोत्साहन योजना का 14.81 प्रतिशत, मृत्यु की दशा में अत्येष्टि सहायता का 3.70 प्रतिशत व रैन बसेरा योजना का 11.11 प्रतिशत श्रमिकों ने लाभ प्राप्त किया है।

तालिका क्र. 4 से स्पष्ट होता है कि अधिकतर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ असंगठित श्रमिकों द्वारा जानकारी के अभाव में एवं प्रक्रिया के जटिल होने के कारण प्राप्त नहीं किया गया है। यह योजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, सायकल अनुदान योजना, दो पहिया वाहन क्रय करने हेतु अनुदान योजना आदि। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं प्रचार–प्रसार की करने आवश्यकता है।

तालिका क्र. 5
श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाने के कारण संबंधी जानकारी

क्र.	लाभ प्राप्त नहीं कर पाने के कारण	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1.	जानकारी का अभाव	36	47.37%
2.	अपूर्ण जानकारी	23	30.26%
3.	अशिक्षा	17	22.37%
	योग	**76**	**100%**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित

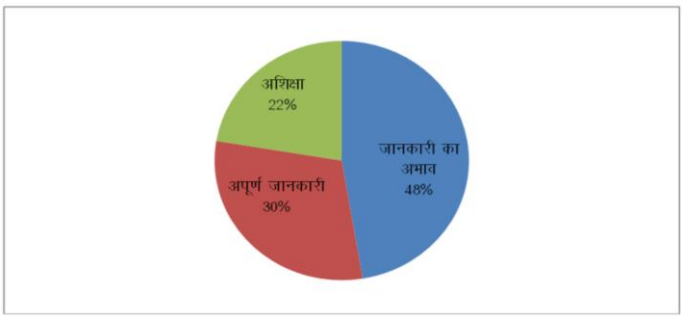

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.37 प्रतिशत श्रमिकों योजनाओं की जानकारी का अभाव है एवं 30.26 प्रतिशत श्रमिकों को योजना की अपूर्ण जानकारी है।

सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। योजनाओं को समझने में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। अधिकतर योजनाओं का लाभ श्रमिकों द्वारा योजना की जानकारी नहीं होने के कारण एवं योजना की प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण प्राप्त नहीं किया गया है। योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं प्रक्रिया को सरल किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

निष्कर्ष

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर किये गये उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। श्रमिकों को शिक्षा का महत्व समझाना अति आवश्यक है।

योजना की प्रक्रिया को सरल किये जाने की आवश्यकता है जिसे अशिक्षित एवं कम शिक्षित श्रमिक श्री उसे आसानी से समझ सकें एवं योजनाओं से लाभ प्राप्त कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सकें।

सुझाव

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षा प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षित श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे अशिक्षित श्रमिकों को शिक्षित करने में सहायता करें एवं सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी व प्रक्रिया को समझने में उन्हें सहायता करें। इससे उनमें आपस में सहयोग एवं विश्वास की भावना भी बढ़ेगी।
3. सामाजिक सुरक्षा योजना की विभागीय प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता है।
4. योजना हेतु पंजीयन एवं अन्य प्रक्रिया में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने आवश्यकता है जिससे वे योजना के महत्व को समझे एवं श्रमिकों की यथासंभव सहायता कर सकें।
5. श्रमिक ठेकेदारों एवं उद्योग मालिकों को योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने एवं अपने श्रमिकों का योजना हेतु पंजीयन करवाने एवं योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु नियम बनाये जाने की आवश्यकता है।
6. श्रमिक ठेकेदारों एवं उद्योग मालिकों द्वारा श्रमिकों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यता है।

संदर्भ सूची :

1. ''योजना दर्पण निर्माण श्रमिकों के कल्याण की छह योजनाएँ'' मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2005 में प्रकाशित।

2. ''निर्माण श्रमिकों के लिये पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका'' मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2008 में प्रकाशित एवं निर्माण श्रमिकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में 19 अगस्त 2008 को विमोचित।

3. नंदिता शाह एण्ड सुजाता घाटोसकर, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स एण्ड ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 30 अप्रेल 1994
4. इंडियन जरनल ऑफ लेबर इकॉनॉमिक्स, वॉल्यूम 40, नं. 3, 1997

5. "Report of the Committee on Unorganised Sector Statistics" National Statistical Commission Government of India, February 2012

6. Organizing the Unorganized: Case study of 'Nirman Mazdoor Sanghatana (NMS)' – a construction workers union in Maharashtra, India. Vidu Badigannavar, School of Management, Royal Holloway, University of London Egham, Surrey, TW20 0EX. And John Kelly, Department of Management Birkbeck, University of London, Malet Street, Bloomsbury, London WC1E 7HX

7. ''प्रदेश के लाखों निर्माण मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ प्रचार पुस्तिका'' मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रकाशित।

8. म.प्र. भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की दिनांक 12.08.2013 को प्रकाशित प्रारंभ से वित्तीय वर्ष वार माह 31 जुलाई 2013 तक की जानकारी।

9. विभिन्न समाचार पत्र एवं वेब साइट जैसे google.com, www.labour.mp.gov.in आदि।

(Received 10th January 2019, accepted 28th January 2019)